न्यायालय – (सुशील कुमार अग्रवाल) सदस्य, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण खातेगॉव जिला देवास मध्यप्रदेश

(नेशनल लोक अदालत दिनांक 08.03.2025 खण्डपीठ क्रमांक 32)

क्लेम प्रकरण क्रमांक 25/2022
सी.एन.आर.क्रमांक एम.पी.4105001760/2022

गौरीशंकर पिता मोतीराम मेहरा, आयु 55 साल,
निवासी छोटीहरदा तहसील–जिला हरदा म.प्र.

——— आवेदक

विरूद्ध

1. राहुल पिता विक्रमसिंह धनगर उम्र 32 साल,
   निवासी ग्राम चापड़ा तहसील बागली जिला देवास म.प्र.
2. मदनलाल पिता भागीरथ राठौर उम्र 42 साल, निवासी
   ग्राम डबलचोकी तहसील बागली जिला देवास म.प्र.
3. प्रबंधक महोदय, चोला मण्डलम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड,
   351 अ फस्ट फल्ोर मेन रोड़ महालक्ष्मीनगर इंदौर जिला इंदौर म.प्र.

——— अनावेदकगण

–:: अधिनिर्णय ::–

(आज दिनांक 08.03.2025 को पारित किया गया)

1. आवेदक द्वारा मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 166, 140 के अंतर्गत अनावेदक क्रमांक 01 वाहन चालक, अनावेदक क्रमांक 02 वाहन मालिक व अनावेदक क्रमांक 03 बीमा कंपनी के विरूद्ध क्षतिपूर्ति राशि 5,00,000/– पॉच लाख रूपये प्राप्त करने हेतु याचिका प्रस्तुत की गई।

2. आवेदक एवं अनावेदक क्रमांक 03 की ओर से अधिवक्ता द्वारा लोक अदालत के माध्यम से प्रकरण का निराकरण कराने हेतु सहमत होने के आधार पर राजीनामा आवेदन पत्र (डाकेट) पेश किया गया। राजीनामा आवेदन पत्र (डाकेट) के अनुसार आवेदक व अनावेदक क्रमांक 03 बीमा कंपनी के मध्य कुल क्षतिपूर्ति राशि के स्थान पर 60,000/– साठ हजार रूपये में आपसी समझौता हुआ है। आवेदक शेष क्षतिपूर्ति राशि किसी भी अनावेदक गण से प्राप्त नहीं करेगा। अनावेदक क्रमांक 03 बीमा कंपनी एक माह में अवार्ड राशि इस अधिकरण के खाते में जमा कराएगी एवं यदि पूर्व में अंतरिम अवार्ड हुआ हो तो समायोजित की जाये।

3. राजीनामा के लिए प्रस्तुत किए गए आवेदन पत्र पर विचार किया गया। राजीनामा का सत्यापन उभय पक्ष की ओर से किया गया है। राजीनामा आवेदन की शर्ते उचित है, कोई दुरभि संधि नहीं है, विधि अनुसार होकर पक्षकारो के हित में है। राजीनामा विधि अनुसार हैं। अतः राजीनामा आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है।

4 यह भी उल्लेखनीय है कि उभय पक्ष के आवेदन पत्र में राजीनामा अनुसार तय हुई क्षतिपूर्ति राशि विहित अवधि में जमा न होने की स्थिति में ब्याज की दर 06 प्रतिशत के संबंध में लेख किया गया है, ऐसी स्थिति में समझौता अनुसार तय क्षतिपूर्ति राशि समय पर अदा न करने पर 06 प्रतिशत की वार्षिक दर से साधारण ब्याज दिलाया जाना उचित होगा। साथ ही आवेदक की ओर से ईलाज में हुए व्यय, आर्थिक स्थिति खराब होने के आधार पर क्षतिपूर्ति राशि नगद दिलाए जाने का भी निवेदन किया गया।

5. माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित **न्याय दृष्टांत रजनीश राय विरूद्ध राजेन्द्र यादव 2009 (2) एम.पी.डब्ल्यू.एन. 71** में प्रतिपादित सिद्धांत अनुसार लोक अदालत में राजीनामा होने पर एफ.डी.आर. की शर्त नहीं लगाई जानी चाहिए। उपरोक्त न्यायदृष्टांत के आलोक में उभय पक्ष के मध्य लोक अदालत के माध्यम से राजीनामा होने व आवेदक पक्ष द्वारा अभिव्यक्त आर्थिक स्थिति एवं समझौता धनराशि को दृष्टिगत रखते हुए संपूर्ण क्षतिपूर्ति अवार्ड धनराशि आवेदक पक्ष एकमुश्त प्राप्त करने का अधिकारी रहेगा।

अतः निम्नानुसार अधिनिर्णय पारित किया जाता है :–

1	आवेदक को अनावेदक क्रमांक 03 बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति राशि 60,000/– साठ हजार रूपये अदा करेगा।
2	अनावेदक क्रमांक 03 बीमा कंपनी आज से एक माह में उक्त राशि अधिकरण के भारतीय स्टेट बैंक शाखा खातेगॉव जिला देवास म.प्र. के खाता क्रमांक **43163361994** आई.एफ.एस.सी. नंबर **एस.बी.आई.एन.0030011** में एन.ई.एफ.टी.,आर.टी.जी.एस., चेक अन्य उचित माध्यम से जमा करावे। एक माह की अवधि के भीतर अवार्ड की संतुष्टि न होने पर अवार्ड राशि पर अधिनिर्णय दिनांक से 06 प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज का भुगतान भी अनावेदक क्रमांक 03 बीमा कंपनी के द्वारा किया जायेगा।
3	अधिनिर्णय में पारित क्षतिपूर्ति राशि आवेदक राष्ट्रीयकृत बैंक में बचत खाते के माध्यम से आवेदक को नगद भुगतान किया

	जाये।
4	आवेदक को अंतरिम प्रतिकर के रूप में भुगतान की गई राशि यदि कोई हो, तो उक्त राशि पारित अवार्ड में समायोजित की जावे।
5	शेष अनावेदक गण के विरूद्ध अनुतोष याचित न होने से उनके संबंध में दावा निरस्त किया जाता है।
6	प्रकरण का व्यय उभय पक्ष वहन करेंगे।
7	उक्त अधिनिर्णय धारा 21 विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम क्रमांक 39/1987 के अनुसार डिक्री का स्थान रखेगा एवं राजीनामा आवेदन पत्र इस अवार्ड का भाग रहेगा।
8	उभय पक्ष की ओर से प्रस्तुत समझौता पत्र पारित अवार्ड का अभिन्न अंग होगा। व्यय तालिका बनाई जाये।
9	अधिनिर्णय की नकल उभय पक्षो को निःशुल्क दी जाये।

SUSHIL KUMAR AGRAWAL

Digitally signed by SUSHIL KUMAR AGRAWAL
Date: 2025.03.08 15:25:33 +0530

(सुशील कुमार अग्रवाल)
पीठासीन अधिकारी, नेशनल लोक अदालत
खंडपीठ क्रमांक 32 खातेगॉव जिला देवास म.प्र.